



2026:AHC:124674

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 19152 वर्ष 2026

भगत सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: देव प्रकाश शर्मा, प्रियंका देवी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए., संजीव कुमार खरे

न्यायालय संख्या -4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

1. आवेदक की अधिवक्ता सुश्री प्रियंका देवी, पहले शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री संजीव कुमार खारे और राज्य की ओर से ए.जी.ए. श्री डी.पी.एस. चौहान की बातें सुनीं और अभिलेख देखा।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र, आपराधिक वाद संख्या 33/2026 (पुलिस थाना चरखारी, जिला महोबा) में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की गुजारिश के साथ दायर की गई है। यह मामलाबीएनएस की धाराओं 105, 126(2), 115(2), 351(3), 352 के तहत दर्ज है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 04.03.2026 की रात को निर्माण कार्य को लेकर हुए झगड़े में, आवेदक की तरफ से दो लोगों और शिकायतकर्ता की तरफ से तीन लोगों को चोटें आईं। हालांकि, मृतक की मौत सिर पर लगी दो चोटों के कारण हुई। यह भी कहा गया है कि उसी घटना के लिए, आवेदक ने भी 07.03.2026 को वही बात दोहराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। साथ ही, आवेदक की निशानदेही पर कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, इसलिए इस चरण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर यह नहीं कहा जा सकता कि असल में हमलावर कौन था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 29.04.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, लेकिन वे ऊपर बताई गई बात को नकार नहीं सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों और आरोपी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में आपराधिक मामलों के भारी बोझ को देखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है। इसलिए, ज़मानत की प्रार्थना-पत्र **स्वीकार की जाती है।**

6. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक- **भगत सिंह** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक स्वीय बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-

i. आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।

iii. ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और जमानत देने वालों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि करनी चाहिए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि 15 दिनों के भीतर प्रमाणित प्रति दाखिल करने का वचन दिया जाए।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन तंत्र (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।
11. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों जैसे कि जमानत देने की नीतिगत रणनीति मामले में: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, जिसका फैसला 31.01.2023 को आया और जो (2024) 10 एससीसीआपित 685 में रिपोर्ट हुआ; और पिला पाहन उर्फ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025, जिसका फैसला 29.05.2026 को आया का पालन करते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के अंदर संबंधित जेल अधीक्षक को ईमेल या ई-प्रिजन पोर्टल के ज़रिए और विचारण न्यायालय को ई-मोड के ज़रिए भेजे।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

जून 2, 2026

सीएस/-